प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 23.12.2025

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय किया गया रवाना

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 23.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1171/2025 धारा 137(2),64(1),87 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के मामले में वांछित बाल अपचारी को केरमुआ चौराहे से पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 17.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व वादी को बाल अपचारी के परिजनो द्वारा जातिसूचक गाली देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, का0 अनिल कुमार यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वाँछित बाल अपचारी को 24 घंण्टे के अन्दर पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय किया गया रवाना

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 23.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1188/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित बाल अपचारी को उसके गांव के पास से पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 22.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंण्टे के अन्दर उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 अजीत कुशवाहा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 130 वाहनों से 1,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 130 वाहनों से 1,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 23.12.2025 को माननीय न्यायालय FTC / ACJM संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 379/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त सुक्खू पुत्र हरिलाल निवासी कुसौना कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।